CHAPTER - 5

Educational Nuggets

1. Account Aggregator (AA)

It provides details of your financial asset information in real time

- You can share your financial information through an Account Aggregator in a secured manner as it does not see or store your financial information.
- Account Aggregators will share information with lending banks and NBFCs only on receiving clear instructions from you.
- This can substantially reduce the time for loan processing.
- Depositors can leverage their digitally transmitted information on financial assets to avail financial services, viz, lending, credit monitoring, wealth management from Financial Information Users as also undertake personal finance management, reconciliation etc., in a fast, secure and hassle-free manner.
- Further, the AA framework has immense potential for small borrowers especially MSMEs because of inclusion of GSTN under AA framework for cash flow-based lending.

यह वास्तविक समय में आपकी वित्तीय संपत्ति के ब्यौरे संबंधी विवरण प्रदान करता है

- आप अपनी वित्तीय जानकारी अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से सुरक्षित तरीके से साझा कर सकते हैं क्योंकि यह आपकी वित्तीय जानकारी को देखता या संग्रहीत नहीं करता है।
- अकाउंट एग्रीगेटर्स आपसे स्पष्ट निर्देश प्राप्त होने पर ही ऋण देने वाले बैंकों और एनबीएफसी के साथ जानकारी साझा करेंगे।
- इससे ऋण प्रसंस्करण के समय में काफी कमी आ सकती है।
- जमाकर्ता, वित्तीय सेवाओं जैसे वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं (एफआईयू) से ऋण देना, क्रेडिट निगरानी, धन प्रबंधन के साथ-साथ व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन, निपटान आदि का त्वरित, सुरक्षित और बाधा-रहित तरीके से लाभ उठाने के लिए अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित डिजिटल रूप से प्रसारित सूचनाओं का उपयोग कर सकते हैं।
- इसके अलावा, नकदी प्रवाह-आधारित ऋण के लिए एए ढांचे के तहत जीएसटीएन को शामिल करने के कारण एए ढांचे में छोटे उधारकर्ताओं, विशेष रूप से एमएसएमई के लिए अपार संभावनाएं हैं।

Account Aggregator framework Customer Financial Services consent to share Request Financial Information Financial with FI-U Financial Information **Financial Information** Information Providers (FIPs) Users (FI-Us) through APIs Bank, NBFC Entities registered with Account Asset Management and regulated by Financial Company, Depository Aggregator Sector Regulators (RBI, Insurance Company/ SEBI, PFRDA and IRDAI) Insurance Repository Central Recordkeeping Financial Information flows to FI-Us End to end encrypted Goods and Services Tax Network (GSTN

2. Digital Lending Apps

Digital Lending Apps (DLAs) are applications on your phone or computer that make it easy to get a loan online. These apps can be from regulated entities, viz., banks and NBFCs or Lending Service Providers (LSPs) engaged by REs, for extending any credit facilitation services, in conformity with extant outsourcing guidelines issued by the Reserve Bank. DLAs typically work by using technology to automate the loan application and disbursal process on behalf of banks and NBFCs. You can apply for a loan through your smartphone, and the app will use digital tools to check your information and process the loan.



2. डिजिटल ऋण देने वाले ऐप

डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (डीएलए) आपके फ़ोन या कंप्यूटर पर मौजूद एप्लिकेशन हैं जो ऑनलाइन ऋण प्राप्त करना आसान बनाते हैं। ये ऐप भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों के अनुरूप, कोई भी क्रेडिट सुविधा सेवा प्रदान करने के लिए विनियमित संस्थाओं, जैसे बैंकों और एनबीएफसी या विनियमित संस्थाओं से सम्बद्ध सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) से हो सकते हैं। डीएलए आमतौर पर बैंकों और एनबीएफसी की ओर से ऋण आवेदन और वितरण प्रक्रिया को स्वचालित रूप में क्रियान्वित करने हेतु प्रौद्योगिकी के माध्यम से कार्य करते हैं। आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं, और यह ऐप आपकी जानकारी की जांच करने और ऋण प्रक्रिया को संचालित करने के लिए डिजिटल टूल का उपयोग करेगा।

3. MANI App - Empowering the visually impaired persons

- Visually impaired persons can identify the denomination of a currency note by downloading the MANI App.
- The App identifies denominations of Mahatma Gandhi Series and Mahatma Gandhi (New) series banknotes by audio notification in Hindi, English, 11 other languages (Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Tamil, Telugu, Urdu) as well as in vibration mode.
- After downloading, internet is not required, and the app works in offline mode.
- The App is available on both Android Play Store and iOS App Store without any charges/payment.
- The mobile application does not authenticate the note as genuine or counterfeit.

3. मनी ऐप - दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सशक्त बनाना

• दृष्टिबाधित व्यक्ति मनी ऐप डाउनलोड करके किसी करेंसी नोट के मूल्य की पहचान कर सकते हैं।

- यह ऐप हिंदी, अंग्रेजी, व 11 अन्य भाषाओं (असिमया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तिमल, तेलुगु, उर्दू) में ऑडियो नोटिफिकेशन एवं वाइब्रेशन मोड में महात्मा गांधी श्रृंखला और महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के बैंकनोटों के मूल्यवर्ग की पहचान करता है।
- डाउनलोड करने के बाद इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है और ऐप ऑफ़लाइन मोड में काम करता है।
- यह ऐप एंडॉइड प्ले स्टोर और आईओएस ऐप स्टोर दोनों पर बिना किसी शुल्क / भुगतान के उपलब्ध है।
- यह मोबाइल एप्लिकेशन नोट को असली या नकली स्वरुप में प्रमाणित नहीं करता है।

4. Exchange of Soiled/ Mutilated/ Defective Notes

- Soiled, Torn, Damaged, Mutilated or Defective currency notes can be exchanged at bank branches over the counter. [Currency notes are exchanged in terms of RBI Note Refund Rules, 2009 (as amended in 2018)].
- If bank branch refuses to exchange such notes, lodge complaint with the bank.
- If the complaint remains unresolved for a month, you can complain to RBI Ombudsman.

गंदे/कटे-फटे/दोषपूर्ण नोटों को बदलना

- गंदे, फटे, क्षतिग्रस्त, कटे-फटे या दोषपूर्ण मुद्रा नोटों को बैंक शाखाओं में काउंटर पर बदला जा सकता है। [नोटों को भारतीय रिज़र्व बैंक नोट वापसी नियमावली, 2009 (2018 में यथा संशोधित) के अनुसार बदला जाता है।
- यदि बैंक शाखा ऐसे नोटों को बदलने से इनकार करती है, तो बैंक में शिकायत दर्ज करें।
- यदि शिकायत का विवरण एक महीने तक नहीं किया जाता है, तो आप आरबीआई लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं।

5. Dispel misleading information about coins

- Coins of different denomination remain in circulation at the same time as coins have a long life.
- All banks have been instructed to accept coins in transaction and exchange them at all their branches.

सिक्कों के बारे में भ्रामक जानकारी दूर करें

- अलग-अलग मूल्यवर्ग के सिक्के एक ही समय में प्रचलन में रहते हैं क्योंकि सिक्कों की आयु लंबी होती है।
- सभी बैंकों को लेन-देन में सिक्के स्वीकार करने और उन्हें सभी शाखाओं में बदलने का निर्देश दिया गया है।

6. Digital Rupee

- Digital Rupee is a legal tender just like physical currency.
- Using Digital Rupee wallet you do not need to carry physical currency in your wallet but you can make payment to any person or merchant having a Digital Rupee wallet.
- Digital Rupee is interoperable with UPI which means that you can make payment to any merchant by scanning their UPI QR code.
- You can load and redeem Digital Rupee to your bank account easily.
- Download the Digital Rupee App of any of the pilot banks from Android or App store and register to start transacting.

डिजिटल रुपया

- डिजिटल रुपया भौतिक मुद्रा की तरह ही एक वैध मुद्रा है।
- आपके पास डिजिटल रुपया वॉलेट रहने पर आपको अपने वॉलेट में भौतिक मुद्रा रखने की आवश्यकता नहीं है। आप डिजिटल रुपया वॉलेट वाले किसी व्यक्ति या व्यापारी को डिजिटल रुपयों में भुगतान कर सकते हैं।
- डिजिटल रुपया यूपीआई के साथ अंतः प्रचालनीय है जिसका अर्थ है कि आप किसी भी व्यापारी को उनके यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके डिजिटल रुपयों में भुगतान कर सकते हैं।
- आप डिजिटल रुपए को अपने बैंक खाते में आसानी से लोड और रिडीम कर सकते हैं।
- एंड्रॉइड या ऐप स्टोर से किसी भी पायलट बैंक का डिजिटल रुपया ऐप डाउनलोड करें और लेनदेन शुरू करने के लिए पंजीकरण करें।

7. UDGAM portal

The deposits remaining unclaimed for 10 years in a bank are transferred to the "Depositor Education and Awareness" (DEA) Fund maintained by the Reserve Bank of India. RBI has been taking various measures to ensure that newer deposits do not turn unclaimed and existing unclaimed deposits are returned to the rightful owners or beneficiaries after following due procedure. Banks are required to display the list of unclaimed deposits on their respective websites. In order to improve and widen the access of depositors / beneficiaries to such data, RBI has developed a centralised web portal to enable users to search their unclaimed deposits across multiple banks based on user inputs.

7. उद्गम पोर्टल

किसी बैंक में 10 वर्षों तक पड़ी हुई दावा रहित (अदावी) जमाराशि को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए "जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता" (डीईए) फंड में अंतरित कर दिया जाता है। आरबीआई यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है कि नई जमाराशि अदावी न हो और मौजूदा अदावी जमाराशि उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद उसके सही मालिकों या लाभार्थियों को वापस कर दी जाए। बैंकों को अपनी संबंधित वेबसाइटों पर अदावी जमाराशियों की सूची प्रदर्शित करनी होती है। ऐसे डाटा तक जमाकर्ताओं/लाभार्थियों की पहुंच में सुधार और विस्तार करने के लिए आरबीआई ने एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल विकसित किया है, जो उपयोगकर्ताओं को उनकी इनपुट के आधार पर कई बैंकों में उनकी अदावी जमा राशि का पता लगाने में सक्षम बनाता है।

The search portal is named उद्गम UDGAM (short for Unclaimed Deposits – Gateway to Access inforMation) (www.udgam.rbi.org.in) and was launched for public use by Hon'ble Governor on August 17, 2023. As on date, the search facility for 30 banks is available on the portal.

उक्त पोर्टल का नाम उद्गम UDGAM है (अनक्लेमड डिपोसिट्स गेटवे टू एक्सेस इनफॉर्मेशन का संक्षिप्त रूप) (www.udgam.rbi.org.in) और 17 अगस्त 2023 को माननीय गवर्नर द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए इसका शुभारंभ किया गया था। वर्तमान स्थिति के अनुसार, पोर्टल पर 30 बैंकों में ऐसे खातों के बारे में पता लगाने की सुविधा उपलब्ध है।

The users can access the portal by registering themselves and search for unclaimed deposits by providing user inputs. Upon a successful search, the users may download / print the result containing the Unclaimed Deposits Reference Number (UDRN) and visit the branch of respective bank to claim or reactivate the account. The information on how to claim or reactivate the

account is also provided in the form of hyperlink against that particular bank on the search result display page.

उपयोगकर्ता खुद का पंजीकरण करके पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं और आवश्यक इनपुट प्रदान करके अदावी जमा का पता लगा सकते हैं। सफल खोज पर, उपयोगकर्ता अदावी जमा संदर्भ संख्या (यूडीआरएन) वाले परिणाम को डाउनलोड/प्रिंट कर सकते हैं और खाते पर दावा करने या पुनः सक्रिय करने के लिए संबंधित बैंक की शाखा से संपर्क कर सकते हैं। खाते पर दावा करने या पुनः सक्रिय करने की जानकारी भी खोज परिणाम प्रदर्शन पृष्ठ (Search result display page) पर उस बैंक विशेष से सम्बंधित हाइपरलिंक के रूप में प्रदान की जाती है।